न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 20 / 2016

अनवान : –

1. मोहनलाल पुत्र आसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. हरजीराम
2. ओम प्रकाश
3. सरबती

} पि0 जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

4. फुली पत्नी मन्साराम जाति जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. बिमला पुत्री गंगादेवी पुत्री जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. चानणराम पुत्र गंगादेवी पुत्री जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. बनारसी पुत्री गंगादेवी पुत्री जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. द्रोपती पुत्री गंगादेवी पुत्री जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. सावित्री पुत्री गंगादेवी पुत्री जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 07/11/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 256/52 के ख0न0 96 व 99 की कुल 10.3950 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार होने के कारण सींव लगान काश्त आदि का झगड़ा रहता है वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है तथा इसलिए वादी अपना खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त एवं अपने हक व हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की तरफ से श्री अजय गुरू अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 ने जवाब दावा पेश किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद की प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वाद भूमि को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 256/52 के ख0न0 96 व 99 की कुल 10.3950 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 256/52 के ख0न0 96 व 99 की कुल 10.3950 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 मोहनलाल पुत्र आसाराम हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर
ख0न0 96 रकबा 4.3880 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 99/1 रकबा 0.8095 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 2 रकबा 5.1975 हैक्ट बारानी प्रथम

2 ओमप्रकाश पुत्र जगनाराम हिस्सा 1/5, चानणराम पुत्र गंगादेवी 1/25 हि0, द्रोपती पुत्री गंगादेवी 1/25 हि0, फुलीदेवी पत्नी मनसाराम 1/5 हि0, बनारसी पुत्री गंगादेवी 1/25 हि0, बिमला पुत्री गंगादेवी 1/25 हि0, शरवती पुत्री जगनाराम 1/5 हि0, सावत्री पुत्री गंगादेवी 1/25 हि0, हरजीराम पुत्र जगनाराम 1/5 हि0 जाति रेगर निवासी नोहर खातेदार
ख0न0 99/2 रकबा 5.1975 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 5.1975 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:50 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 20/2016

अनवान : –

1. मोहनलाल पुत्र आसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. हरजीराम
2. ओम प्रकाश
3. सरबती

} पि0 जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

4. फुली पत्नी मन्साराम जाति जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. बिमला पुत्री गंगादेवी पुत्री जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. चानणराम पुत्र गंगादेवी पुत्री जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. बनारसी पुत्री गंगादेवी पुत्री जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. द्रोपती पुत्री गंगादेवी पुत्री जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. सावित्री पुत्री गंगादेवी पुत्री जगनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 20 सन 2016 निर्णय दिनांक - 07/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 256/52 के ख0न0 96 व 99 की कुल 10.3950 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 मोहनलाल पुत्र आसाराम हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर

ख0न0 96 रकबा 4.3880 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 99/1 रकबा 0.8095 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 2 रकबा 5.1975 हैक्ट बारानी प्रथम

2 ओमप्रकाश पुत्र जगनाराम हिस्सा 1/5, चानणराम पुत्र गंगादेवी 1/25 हि0, द्रोपती पुत्री गंगादेवी 1/25 हि0, फुलीदेवी पत्नी मनसाराम 1/5 हि0, बनारसी पुत्री गंगादेवी 1/25 हि0, बिमला पुत्री गंगादेवी 1/25 हि0, शरवती पुत्री जगनाराम 1/5 हि0, सावत्री पुत्री गंगादेवी 1/25 हि0, हरजीराम पुत्र जगनाराम 1/5 हि0 जाति रेगर निवासी नोहर खातेदार

ख0न0 99/2 रकबा 5.1975 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 5.1975 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदा[illegible] नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अप[illegible]हन[illegible]रे।

यह अंतिम डिक्री आज दि[illegible] 07/11/2024 [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:50 IST
Reason: SelfAttested